2429
04/09/2024

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

संकल्प

विषयः–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों के छात्रबल में वृद्धि के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा 143 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 116 एवं अनुसूचित जाति के लिए 23 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 86.45 लाख (कुल आबादी का 26.2%) एवं अनुसूचित जाति की आबादी 39.85 लाख (कुल आबादी का 12%) है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाय तो 38% आबादी के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में मात्र 139 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि लक्षित समुह बहुत बड़ा है। उक्त 139 आवासीय विद्यालयों में से स्थापना व्यय अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए 81 एवं अनुसूचित जाति के लिए 20 कुल 101 आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

2. आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए विगत वर्षों में आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर विश्लेषण किया जाय तो चयन परीक्षा के लिए औषतन प्राप्त 40 – 50 हजार आवेदन के विरूद्ध प्रति वर्ष इन विद्यालयों में नामांकन के लिए 3000 के आस–पास रिक्तियाँ ही उपलब्ध रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि लक्षित समुह का एक बड़ा हिस्सा जो इन विद्यालयों में नामांकन तो चाहता है पर रिक्तियों के अभाव में इससे वंचित रह जाता है।

3. स्वीकृत कक्षा, शिक्षक एवं छात्रबल के अनुसार स्थापना व्यय अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों का वर्गीकरण निम्नवत हैः–

Sl. No.	Type of School	No. of School	Class		Current Strength per school	Sanctioned Teacher's Strength per school			
			Sanctioned	Currently Running		PRT	TGT	PGT	Headmaster/ Principal
1	Upgraded High School	2	1 to 10	1 to 5	60	7	9	0	1
		7	1 to 10	1 to 5	100	7	9	0	1
		45	1 to 10	1 to 6	88	6	9	0	1
		1	1 to 10	1 to 6	100	6	9	0	1
2	High School	3	7 to 10	7 to 10	160	0	8	0	1
		1	1 to 10	1 to 10	168	6	9	0	1
		2	6 to 10	6 to 10	200	0	7	0	1
		34	1 to 10	1 to 10	248	7	9	0	1
		3	1 to 10	1 to 10	300	7	9	0	1
		1	1 to 10	1 to 10	400	6	9	0	1
3	High (+2) School	1	7 to 12	7 to 12	340	0	8	8	1
		1	1 to 12	1 to 12	408	7	9	6	1
Total		101							

4. उपर्युक्त कंडिका–3 पर अंकित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्तमान में आवासीय विद्यालयों में छात्रबल काफी अनियमित रूप से स्वीकृत है, जिसके कारण एक ही श्रेणी के अलग–अलग विद्यालयों में स्वीकृत छात्रबल में एकरूपता का अभाव है। छात्र : शिक्षक अनुपात भी देखा जाय तो RTE के प्रावधानों से काफी कम है। उक्त 101 आवासीय विद्यालयों में से 55 आवासीय विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें कक्षाएँ 1 से 10 तक स्वीकृत हैं, परंतु संचालन मात्र 1 से 5 अथवा 6 तक हो रहा है। ऐसे विद्यालयों में स्वीकृत सभी कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारंभ किया जा सकता है। शेष उच्च विद्यालयों जहाँ स्वीकृत छात्रबल 160, 168, 248 आदि है, उनमें भी एकरूपता लाते हुए छात्रबल में वृद्वि किया जा सकता है।

5. अतः उपरोक्त के आलोक में RTE के प्रावधानों के दृष्टिगत वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत बल के आधार पर छात्र : शिक्षक अनुपात को 30 : 1 के आस–पास रखते हुए संलग्न **Annexure-1** के अनुरूप छात्रबल में वृद्धि का प्रस्ताव है।

6. छात्रबल में वृद्धि के प्रस्ताव का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से निम्नरूपेण किये जाने का प्रस्ताव है। इस निमित अंतिम निर्णय लेने एवं समय–समय पर तदनुरूप आदेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव प्रस्तावित हैं :–

i. प्रथम चरण में जिन विद्यालयों में **Annexure-1** के अनुरूप छात्रबल हेतु पूर्णरूपेण आधारभूत संरचना उपलब्ध है, उनमें तत्काल कक्षा 1 से 8 में 40 – 40 छात्र/छात्राओं का नामांकन लेते हुए पठन–पाठन प्रारंभ किया जाएगा। कक्षा 9 एवं उससे उपर निचली कक्षा से छात्र/छात्राएँ promote होंगे।

ii. दुसरे चरण में वैसे विद्यालयों जहाँ **Annexure-1** के अनुरूप छात्रबल में वृद्धि हेतु आंशिक रूप से आधारभूत संरचना उपलब्ध है, उन विद्यालयों में आगामी तीन वर्षों में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करते हुए तत्काल उतने ही कक्षाओं में छात्रबल की वृद्धि एवं नामांकन ली जाएगी, जिनको आगामी तीन वर्षों अर्थात पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित होने तक विद्यालय में समायोजित करने में कोई कठिनाई न हो।

iii. तीसरे चरण में वैसे आवासीय विद्यालय जहाँ **Annexure-1** के अनुरूप छात्रबल में वृद्धि हेतु आंशिक रूप से भी आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित करते हुए छात्रबल में वृद्धि की जाएगी।

7. छात्रबल में **Annexure-1** के अनुरूप पूर्णरूपेण वृद्धि के फलस्वरूप राजकोष पर वार्षिक व्ययभार अनुसूचित जाति के 20 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹11,79,48,800.00 (ग्यारह करोड़ उनासी लाख अड़तालिस हजार आठ सौ रू०) एवं अनुसूचित जनजाति के 81 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹55,20,65,200.00 (पचपन करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार दो सौ रू०) कुल 101 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹67,00,14,000.00 (सड़सठ करोड़ चौदह हजार रू०) मात्र आकलित है, जो स्थापना व्यय अन्तर्गत निम्नांकित शीर्ष से विकलनीय होगा :–

i. **अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए** :– मांग संख्या–51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उप शीर्ष–04–आवासीय विद्यालय।

ii. **अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के लिए** :– मांग संख्या–51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उप शीर्ष–03–आवासीय विद्यालय।

8. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. इसपर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–29.08.2024 की बैठक में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०वि०(छात्रबल–गै.यो.)–02/2024–क– 2429 राँची, दिनांक– 04/09/2024

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को आगामी झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०वि०(छात्रबल–गै.यो.)–02/2024–क– 2429 राँची, दिनांक– 04/09/2024

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० व हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/बजट प्रशाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

Annexure - 1

आवासीय विद्यालयों में छात्रबल में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव :–

क्र०	जिला	विद्यालय का नाम	कोटि	स्वीकृत कक्षा	वर्तमान में स्वीकृत छात्रबल	छात्रबल में वृद्धि का प्रस्ताव	वृद्धि के उपरांत कुल छात्रबल	वृद्धि के उपरांत प्रति कक्षा छात्रबल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	राँची	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सोनचीपी	ST	I - X	248	152	400	40
2	राँची	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, तमाड़	ST	I - X	248	152	400	40
3	राँची	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बारीडीह	ST	I - X	248	152	400	40
4	राँची	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अमनबुरू	ST	I - X	88	312	400	40
5	राँची	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ओरमांझी	ST	I - X	88	312	400	40
6	राँची	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बुण्डु	SC	I - X	248	152	400	40
7	राँची	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कमड़े	SC	I - X	248	152	400	40
8	खूँटी	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, उलिहातु	ST	I - X	400	0	400	पूर्ववत
9	खूँटी	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कुन्दी	ST	I - X	248	152	400	40
10	खूँटी	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, अड़की	ST	I - X	168	232	400	40
11	खूँटी	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तपकारा	ST	I - X	88	312	400	40
12	खूँटी	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डोम्बारी	ST	I - X	88	312	400	40
13	गुमला	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, जोभीपाट	ST	I - X	248	152	400	40
14	गुमला	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, चापाटोली	ST	I - X	248	152	400	40
15	गुमला	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, घाघरा	ST	I - X	248	152	400	40
16	गुमला	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कन्दापाट	ST	VI - X	200	0	200	पूर्ववत
17	गुमला	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सखुआपानी	ST	I - X	248	152	400	40

18	गुमला	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चौरापाट	ST	I - X	88	312	400	40
19	गुमला	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डोकापाट	ST	I - X	88	312	400	40
20	लोहरदगा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, किस्को	ST	I - X	248	152	400	40
21	लोहरदगा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तुम्युपाट	ST	I - X	88	312	400	40
22	लोहरदगा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बमनडीहा	ST	I - X	88	312	400	40
23	लोहरदगा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पेसरार	ST	I - X	88	312	400	40
24	लोहरदगा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लोहरदगा	ST	I - X	88	312	400	40
25	सिमडेगा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हार्टिंगहोड़े	ST	I - X	88	312	400	40
26	सिमडेगा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सेवई	ST	I - X	88	312	400	40
27	पश्चिमी सिंहभूम	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, थलकोबाद, मनोहरपुर	ST	I - X	88	312	400	40
28	पश्चिमी सिंहभूम	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छोटानागरा, मनोहरपुर	ST	I - X	88	312	400	40
29	पश्चिमी सिंहभूम	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, टेबो, बंदगाँव	ST	I - X	88	312	400	40
30	पश्चिमी सिंहभूम	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सदर, चाईबासा	ST	I - X	248	152	400	40
31	पश्चिमी सिंहभूम	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कुन्द्रुगुटू, बंदगाँव	ST	I - X	248	152	400	40
32	पूर्वी सिंहभूम	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, उपरपावड़ा	ST	I - X	248	152	400	40
33	पूर्वी सिंहभूम	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, शबरनगर	ST	I - X	248	152	400	40
34	पूर्वी सिंहभूम	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिंहपूरा	ST	I - X	88	312	400	40
35	सरायकेला –खरसांवा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, संजय	ST	I - X	248	152	400	40
36	साहेबगंज	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, वृन्दावन, तीनपहाड़	ST	I - X	248	152	400	40
37	साहेबगंज	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, बरहेट	ST	I - X	248	152	400	40

38	साहेबगंज	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बांझी	ST	I - X	300	100	400	40
39	साहेबगंज	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, बन्दरकोला	ST	I - X	248	152	400	40
40	साहेबगंज	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, धमधमिया	ST	I - X	88	312	400	40
41	साहेबगंज	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अम्बेरी	ST	I - X	88	312	400	40
42	साहेबगंज	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अरगौरी	ST	I - X	88	312	400	40
43	साहेबगंज	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चांदवासी	ST	I - X	88	312	400	40
44	साहेबगंज	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अदरो	ST	I - X	88	312	400	40
45	साहेबगंज	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ढ़िबरीकोल	ST	I - X	88	312	400	40
46	साहेबगंज	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, करमपहाड़	ST	I - X	60	340	400	40
47	गोडडा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, धमनी	ST	I - X	300	100	400	40
48	गोडडा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रतनपुर	ST	I - X	88	312	400	40
49	गोडडा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डांगापाड़ा	ST	I - X	88	312	400	40
50	गोडडा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुर्तिका	ST	I - X	88	312	400	40
51	गोडडा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गम्हारो	ST	I - X	88	312	400	40
52	गोडडा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कार्तिकभिट्ठा	ST	I - X	88	312	400	40
53	गोडडा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बोआरीजोर	ST	I - X	88	312	400	40
54	दुमका	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, इंदरबनी	ST	VII - XII	340	0	340	पूर्ववत
55	दुमका	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, गोपीकान्दर	ST	I - X	248	152	400	40
56	दुमका	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कड़हरबील	ST	I - X	248	152	400	40
57	दुमका	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, नकटी	ST	I - X	248	152	400	40
58	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गुम्मापहाड़ी	ST	I - X	88	312	400	40

59	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लखनपुर	ST	I - X	88	312	400	40
60	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मंझियाड़ा	ST	I - X	88	312	400	40
61	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, शिकारीपाड़ा	ST	I - X	88	312	400	40
62	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मसलिया	ST	I - X	88	312	400	40
63	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जरमुण्डी	ST	I - X	88	312	400	40
64	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, आसनपहाड़ी	ST	I - X	88	312	400	40
65	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उपरमुर्गाथली	ST	I - X	88	312	400	40
66	दुमका	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कैराबनी	ST	I - X	88	312	400	40
67	दुमका	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, आसनसोल	ST	I - X	88	312	400	40
68	देवघर	आवासीय बालक +2 उच्च विद्यालय, मधुपूर	SC	I - XII	408	152	560	I to X - 40 XI to XII - पूर्ववत
69	पाकुड़	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, हिरनपुर	ST	I - X	300	100	400	40
70	पाकुड़	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डुमरचीड़	ST	I - X	88	312	400	40
71	पाकुड़	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुंजबोना	ST	I - X	88	312	400	40
72	जामताड़ा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुंडहित	ST	I - X	88	312	400	40
73	जामताड़ा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुण्डहित	ST	I - X	60	340	400	40
74	जामताड़ा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, दुलाडीह	SC	I - X	248	152	400	40
75	गिरीडीह	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, पिरटांड़	ST	I - X	248	152	400	40
76	गिरीडीह	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, जमूआ	SC	I - X	248	152	400	40
77	गिरीडीह	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, खरगडीहा	SC	I - X	248	152	400	40
78	धनबाद	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर	SC	I - X	248	152	400	40
79	बोकारो	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, चास	SC	I - X	248	152	400	40

80	हजारीबाग	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बरसोत	SC	I - X	248	152	400	40
81	रामगढ़	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, माण्डु	ST	I - X	248	152	400	40
82	रामगढ़	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गोला	ST	I - X	88	312	400	40
83	चतरा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, लावालौंग	ST	I - X	248	152	400	40
84	चतरा	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सिमरिया	SC	VI - X	200	0	200	पूर्ववत
85	चतरा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिमरिया	SC	I - X	100	300	400	40
86	चतरा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, प्रतापपुर	SC	I - X	100	300	400	40
87	चतरा	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हंटरगंज	SC	I - X	100	300	400	40
88	गढ़वा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कुदरूम	ST	I - X	248	152	400	40
89	गढ़वा	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, चिनियॉ	ST	VII - X	160	0	160	पूर्ववत
90	गढ़वा	आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, रमकण्डा	SC	I - X	248	152	400	40
91	गढ़वा	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रमकंडा	SC	I - X	100	300	400	40
92	लातेहार	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, महुआडांड़	ST	VII - X	160	0	160	पूर्ववत
93	लातेहार	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, गारू	ST	VII - X	160	0	160	पूर्ववत
94	लातेहार	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छिपादोहर	ST	I - X	88	312	400	40
95	लातेहार	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डोमाखांड़	ST	I - X	88	312	400	40
96	लातेहार	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हेन्देहास	ST	I - X	88	312	400	40
97	लातेहार	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चन्दवा	SC	I - X	100	300	400	40
98	लातेहार	आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय, होटबाग	SC	I - X	60	340	400	40
99	पलामू	आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कौआकोह	SC	I - X	248	152	400	40
100	पलामू	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लेस्लीगंज	SC	I - X	100	300	400	40

101	पलामू	आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डुमरी	SC	I - X	100	300	400	40
		कुल :–			**16368**	**23012**	**39380**	

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।